

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय – आदेश

श्रीमती अंजू जैन, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजाकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुमानपुरा कोटा को दिनांक 10.05.2018 से 18.06.2018 तक अपने पुत्र से मिलने एवं युरोप भ्रमण जाने हेतु अनापति प्रमाण पत्र एवं उक्त अवधि तक विदेश भ्रमण जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जाती है –

1. उक्त कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवकाश से अधिक नहीं ठहरेगें ।
2. उक्त कार्मिक का एक बार स्वीकृत अवकाश आगे नहीं बढ़ाया जायेगा ।
3. उक्त कार्मिक विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का डिप्लोमा/अध्ययन कार्य नहीं करेगा
4. विदेश से भिजवाये गये त्याग-पत्र को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
5. कार्मिक विदेश में सेवा नियोजन का कार्य नहीं करेगा ।
6. उक्त यात्रा का समस्त व्यय कार्मिक स्वयं के स्तर पर वहन करेगा ।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राजविज्ञान/विदेश अनुज्ञा/17

दिनांक:- 12/3/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा कोटा
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा कोटा
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
4. प्रधानाचार्य, राउमावि गुमानपुरा कोटा को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक द्वारा आवेदन अवकाश प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकृत कर विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करावें ।
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर